रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 974] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 30, 2014/वैशाख 10, 1936
No. 974] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 30, 2014/VAISAKHA 10, 1936

कृषि मंत्रालय
(कृषि और सहकारिता विभाग)
आदेश

नई दिल्ली , 30 अप्रैल, 2014

का.आ.1181 (अ) -- आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 (1955 का 10) के खण्ड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्:

1.(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2014 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तिथि को प्रवृत्त होंगे।

2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) में खण्ड 29 ख के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:

'' 29 ग' उर्वरक के निर्देशी विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाएं

(1) राष्ट्रीय जैव कृषि केन्द्र, गाजियाबाद या क्षेत्रीय जैव कृषि केन्द्र, बंगलौर, भुवनेश्वर, हिसार, इम्फाल, जबलपुर और नागपुर और खण्ड 29 (1क) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रयोगशाला को जैव उर्वरक के किसी भी नमूने का विश्लेषण करने के प्रयोजन के लिए निर्देशी प्रयोगशाला के रुप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

परंतु यह कि ऐसी किसी भी प्रयोगशाला जिसने उर्वरक नमूने का प्रथम विश्लेषण किया, को उस नमूने के संबंध में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

परंतु यह और कि ऐसा नमूना जिसके विश्लेषण को चुनौती दी गई है, को ऐसी प्रयोगशालाओं जो राज्य में स्थित है या जहां प्रथम विश्लेषण किया गया था, को छोड़कर अन्य किसी भी प्रयोगशाला में निर्देशी विश्लेषण के लिए भेजा जा सकता है;

परंतु यह कि राष्ट्रीय जैव कृषि केन्द्र, गाजियाबाद और क्षेत्रीय जैव कृषि केन्द्र, बंगलौर, भुवनेश्वर, हिसार, इम्फाल, जबलपुर व नागपुर की प्रयोगशाला समूह समझा जाएगा तथा उनके द्वारा पहले विश्लेषित किए गए नमूने को उस समूह की किसी भी अन्य प्रयोगशाला में निर्देशी विश्लेषण के लिए नहीं भेजा जाएगा, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।

(2) इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होतु हुए भी, राज्य सरकार की प्रयोगशाला द्वारा एकत्रित किए गए नमूने के मामले में खण्ड 32 क के उपखण्ड-1 में यथा विनिर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या राष्ट्रीय जैव कृषि केन्द्र, गाजियाबाद अथवा क्षेत्रीय जैव कृषि केन्द्र, बंगलौर, भुवनेश्वर, हिसार, इम्फाल, जबलपुर और नागपुर द्वारा एकत्रित किए गए नमूने के मामले में नियंत्रक जैसा भी मामला हो उपखण्ड (1) के अधीन विनिश्चय करेंगे और दो शेष नमूनों में से एक नमूने निर्देशी विश्लेषण के लिए भेजेंगे।

29 घ. जैव उर्वरक के निर्देशी विश्लेषण के लिए प्रयोगशालाएं

(1) राष्ट्रीय जैव कृषि केन्द्र, गाजियाबाद या क्षेत्रीय जैव कृषि केन्द्र, बंगलौर, भुवनेश्वर, हिसार, इम्फाल, जबलपुर और नागपुर तथा खण्ड 29 (1क) में निर्दिष्ट प्रत्येक प्रयोगशाला को जैविक उर्वरक के किसी भी नमूने का विश्लेषण करने के प्रयोजन के लिए नामनिर्दिष्ट प्रयोगशाला के रुप में नामित किया जाएगा।

परंतु यह कि ऐसी किसी भी प्रयोगशाला जिसने उर्वरक नमूने का प्रथम विश्लेषण किया, को उस नमूने के संबंध में नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाएगा।

परंतु यह और कि ऐसा नमूना जिसके विश्लेषण को चुनौती दी गई है, को ऐसी प्रयोगशालाओं जो राज्य में स्थित है या जहां प्रथम विश्लेषण किया गया था, को छोड़कर अन्य किसी भी प्रयोगशाला में निर्देशी प्रयोगशाला के लिए भेजा जा सकता है;

परंतु यह कि राष्ट्रीय जैव कृषि केन्द्र, गाजियाबाद और क्षेत्रीय जैव कृषि केन्द्र, बंगलौर, भुवनेश्वर, हिसार, इम्फाल, जबलपुर व नागपुर की प्रयोगशाला समूह समझा जाएगा तथा उनके द्वारा पहले विश्लेषित किए गए नमूने को उस समूह की किसी भी अन्य प्रयोगशाला में निर्देशी विश्लेषण के लिए नहीं भेजा जाएगा, इसके अतिरिक्त राज्य सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किसी भी अन्य प्रयोगशाला में भेजा जाएगा।

(2) इस आदेश में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार की प्रयोगशाला द्वारा एकत्रित किए गए नमूने के मामले में खण्ड 32 क के उपखण्ड-1 में यथा विनिर्दिष्ट अपील प्राधिकारी या राष्ट्रीय जैव कृषि केन्द्र, गाजियाबाद या क्षेत्रीय जैव कृषि केन्द्र, बंगलौर, भुवनेश्वर, हिसार, इम्फाल, जबलपुर तथा नागपुर द्वारा एकत्रित किए गए नमूने के मामले में नियंत्रक जैसा भी मामला हो उपखण्ड (1) के अधीन विनिश्चिय करेंगे और दो शेष नमूनों में से एक नमूने निर्देशी विश्लेषण के लिए भेजेंगे।

3. उक्त आदेश में क्रम संख्या 17 के पश्चात् 100 प्रतिशत जल में घुलनशील मिश्रित उर्वरकों से संबंधित उपशीर्षक 1(ज) में ''उर्वरकों का विनिर्देशन '' शीर्षक के अधीन भाग क में, अनुसूची- 1 में निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां क्रमश: सम्मिलित होंगी, अर्थात्:-

"18 एनपीकेजैडएनबी 12:0:42:0.7:0.3(100% जल में विलेय)

(i)	भार के आधार पर कुल नाईट्रोजन (एनओ3) का प्रतिशत, न्यूनतम	12.0
(ii)	भार के आधार पर जल में घुलनशील पोटाश (के2ओ के रुप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	42.0
(iii)	भार के आधार पर जिंक (जैडएन के रुप में) का प्रतिशत, न्यूनतम	0.7
(iv)	भार के आधार पर बोरोन (बी के रुप में) का प्रतिशत	0.3
(v)	भार के आधार पर आर्द्रता का प्रतिशत, अधिकतम	0.5
(vi)	भार के आधार पर अघुलनशील पदार्थ का प्रतिशत, अधिकतम	0.5

4. उल्लिखित आदेश की अनुसूची 3, भाग क में, "उर्वरकों के विनिर्देशन", शीर्ष के अधीन, क्रम संख्यांक 8 के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां क्रमश: जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

9. **वाहक आधारित भागीदारी**

(i)	आधार	**आर्द्र/चूर्ण या दानेदार के रूप में वाहक आधारित**
(ii)	जीवनक्षम कोशिका संख्या	निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों की अधिकतम 3 या किसी 2 के मिश्रण में सीएफयू न्यूनतम राइजोबियम या एजटोबेक्टर या एसोस्प्रिलम $1X10^7$ प्रति ग्राम सीएफयू न्यूनतम पीएसबी $1X10^7$ प्रति ग्राम सीएफयू न्यूनतम केएसबी $1X10^7$ प्रति ग्राम
(iii)	वाहक आधारित आर्द्र चूर्ण सामग्री की दशा में कण का आकार	सभी सामग्री 0.15-0.212 मि.मी. भारतीय मानक छलनी में से गुजरेंगी।
(iv)	उत्पाद में सभी जैव उर्वरक जीव की कुल व्यवहार्य कोशिका संख्या	सीएफयू न्यूनतम वाहक/चूर्ण के $5X10^7$ सेल्स प्रति ग्राम
(v)	भार के आधार पर आर्द्रता प्रतिशत वाहक आधारित के मामले में अधिकतम	30-40%
(vi)	संदूषण	वाहक आधारित/कण आधारित इनोक्यूलेन्ट के लिए 10^{-4} तनुकरण पर कोई संदूषण नहीं।

(vii)	एजोटोबैक्टर क्षमता विशेषता एजोस्प्रिलियम पीएसबी	स्ट्रेन को सी-स्रोत के नाइट्रोजन निर्धारण/ग्राम के कम से कम 10 मि.ग्रा. पर निर्धारण के लिए सक्षम होना चाहिए। स्ट्रेन को अनुप्रयुक्त मेलेट के नाइट्रोजन निर्धारण/ग्राम के कम से कम 10 मि.ग्रा. पर निर्धारण के लिए सक्षम होना चाहिए। पीएसबी मेडिया पर घुलनशील क्षेत्र के न्यूनतम 5 मि.ली. जिसमें कम से कम 3 मि.मी. की मोटाई हो।

	केएमबी राइजोबियम	केएसबी मेडिया पर घुलनशील के न्यूनतम 5 मि.ली. क्षेत्र जिसमें कम से कम 3 मि.मी. की मोटाई हो। ग्रन्थि विन्यास परीक्षण पोजिटिव
10. द्रव कोनसोर्टिया		
(i)	द्रव्य आधार में विशिष्ट गुण वाले जीवनक्षम की गणना	न्यूनतम सीएफयू निम्नलिखित सूक्ष्मजीवी के कोई दो या अधिक मिश्रण में न्यूनतम सीएफयू राईजोवियम या एजोटोबैक्टर या एजोस्प्रिलियम 1X10 8 प्रति मि.ली. सीएफयू न्यूनतम पीएसबी 1X10 8 प्रति मि.ली. सीएफयू न्यूनतम केएसबी 1X10 8 प्रति मि.ली.
(ii)	उत्पाद में सभी जैव उर्वरक ओरगेनिज्म का सभी विशिष्ट गुण वाले जीवनक्षम की गणना	न्यूनतम सीएफयू द्रव बेस का 5X10 8 कोशिका प्रति मी.ली.
(iii)	संदूषण	किसी भी तनुकृत घोल में कोई संदूषण नहीं।
(iv)	पीएच	5.0-7.0
(v)	एजोक्टोबेक्टर क्षमता विशेषता एजोस्प्रिलियम पीएसबी केएमबी राइजोबियम	स्ट्रेन को सी-स्रोत के नाइट्रोजन निर्धारण/ग्राम के कम से कम 10 मि.ग्रा. पर निर्धारण के लिए सक्षम होना चाहिए। स्ट्रेन को अनुप्रयुक्त मेलेट के नाइट्रोजन निर्धारण/ग्राम के कम से कम 10 मि.ग्रा. पर निर्धारण के लिए सक्षम होना चाहिए। पीएसबी मेडिया पर घुलनशील क्षेत्र के न्यूनतम 5 मि.ली. जिसमें कम से कम 3 मि.मी. मोटाई हो। केएसबी मेडिया पर घुलनशील के न्यूनतम 5 मि.ली. क्षेत्र जिसमें कम से कम 3 मि.मी. मोटाई हो। ग्रन्थि विन्यास परीक्षण पोजिटिव

5. उक्त आदेश की, अनुसूची 3 में, जैव उर्वरक विश्लेषण की प्रणालियां शीर्षक के अधीन भाग घ में, क्रम संख्या 1 एच के के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्याक और प्रविष्टियां को क्रमश: सम्मिलित किया जाएगा, अर्थात् :-

''1.1 जैव उर्वरक के वाहक आधारित जैव उर्वरक द्रव की भागीदारी और विश्लेषण विधियां

(i) राईजोवियम जैव उर्वरक विश्लेषण विधियां वह होगी, जो क्रम सं. 1.क पर राईजोवियम के लिए यथा विनिर्दिष्ट है।

(ii) एजोटोबेक्टर विश्लेषण विधियां वह होगी, जो क्रम सं. 1ख पर एजोटोबेक्टर के लिए यथा विनिर्दिष्ट है।

(iii) एजोस्प्रिलियम विश्लेषण विधियां वह होगी, जो क्रम सं. 1ग पर एजोस्प्रिलियम के लिए यथा विनिर्दिष्ट है।

(iv) फास्फेट घुलनशील बैक्टीरिया पीएसबी विश्लेषण विधियां वह होगी, जो क्रम सं. 1घ पर फास्फेट घुलनशील जीवाणु के लिए यथा विनिर्दिष्ट है।

(v) पोटाश मोबिलाईजिंग बैक्टीरिया (केएमबी) विश्लेषण विधियां वह होगी, जो क्रम सं. 1च पर पोटाश मोबिलाईजिंग बैक्टीरिया के लिए यथा विनिर्दिष्ट है।

[फा.सं.2-4/2013-उर्व.विधि]

नरेन्द्र भूषण, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल आदेश को भारत के राजपत्र में तारीख 25 सितम्बर,1985 के सा.का.नि 758 संख्या द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तारीख 29 नवम्बर, 2013, का.आ.,3542(अ) संख्या द्वारा अंतिम बार संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF AGRICULTURE
(Department of Agriculture and Cooperation)
ORDER

New Delhi, the 30th April , 2014

S.O. 1181 (E).— In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1985, namely: —

1. (1) This Order may be called the Fertiliser (Control) Amendment Order, 2014.
(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Control) Order, 1985, (herein after referred as said Order) after clause 29B, the following clause shall be inserted, namely: —

"29C Laboratories for referee analysis of Biofertiliser:

(1) National Centre of Organic Farming, Ghaziabad or Regional Centre of Organic farming at Bangalore, Bhubaneshwar, Hissar, Imphal, Jabalpur and Nagpur and every laboratory referred to in clause 29 (1A) shall be designated as referee laboratory for the purpose of analysis of any sample of Bio-fertiliser :
Provided that no such laboratory which carried out the first analysis of fertiliser sample shall be so designated in respect of that sample:

Provided further that in respect of any sample the analysis of which has been challenged, may be sent for referee analysis to any one of the other laboratories except those which are located in the state or where the first analysis has been done:
Provided that National Centre of Organic Farming, Ghaziabad and Regional Centre of Organic farming at Bangalore, Bhubaneshwar, Hissar , Imphal, Jabalpur and Nagpur shall be considered as one group of laboratories and a sample first analysed by any one of them, shall not be sent for referee analysis to any other in that group, but only to any other laboratory notified by a State Government or Central Government.

(2) Notwithstanding anything contained in this Order, the Appellate Authority as specified in sub-clause 1 of clause 32A in case of sample collected by the state Government laboratory, or the Controller, in case of sample collected by National Centre of Organic Farming, Ghaziabad or Regional Centre of Organic farming at Bangalore, Bhubaneshwar, Hissar, Imphal,Jabalpur and Nagpur, as the case may be, shall decide and send, one of the two remaining samples, for reference analysis as provided under subclause (1).

29 D Laboratories for referee analysis of Organic fertilizer:

(1) National Centre of Organic Farming, Ghaziabad or Regional Centre of Organic Farming at Bangalore, Bhubaneshwar, Hissar, Imphal, Jabalpur and Nagpur and every laboratory referred to in clause 29 (1A) shall be designated as referee laboratory for the purpose of analysis of any sample of Organic fertiliser
Provided that no such laboratory which carried out the first analysis of fertiliser sample shall be so designated in respect of that sample;

Provided further that in respect of any sample the analysis of which has been challenged, may be sent for referee analysis to any one of the other laboratories except those which are located in the state or where the first analysis has been done;

Provided that National Centre of Organic Farming, Ghaziabad and Regional Centre of Organic Farming at Bangalore, Bhubaneshwar, Hissar, Imphal, Jabalpur and Nagpur shall be considered as one group of laboratories and a sample first analysed by any one of them, shall not be sent for referee analysis to any other in that group, but only to any other laboratory notified by a State Government or Central Government.

(2) Notwithstanding anything contained in this Order, the Appellate Authority as specified in sub-clause 1 of clause 32 A in case of sample collected by the State Government laboratory, or the Controller, in case of sample collected by National Centre of Organic Farming, Ghaziabad or Regional Centre of Organic farming at Bangalore, Bhubaneshwar, Hissar, Imphal, Jabalpur and Nagpur, as the case may be, shall decide and send, one of the two remaining samples, for reference analysis as provided under subclause (1)"

3. In the said order, in Schedule I, in Part A, under the heading "Specification of Fertilisers",in sub-heading 1 (h) relating to 100% Water Soluble Complex Fertilisers, after serial 17, the following serial number and entries shall respectively be inserted, namely: —

"**18 NPKZnB (12:0:42:0.7:0.3) (100% Water Soluble)**

(i)	Total Nitrogen (as NO3) per cent. by weight, minimum	12.0
(ii)	Water soluble potash (as K_2O) percent by weight minimum	42.0
(iii)	Zinc (as Zn) percent by weight, minimum	0.7
(iv)	Boron (as B) percent by weight	0.3
(v)	Moisture percent by wt, maximum	0.5
(vi)	Matter insoluble percent by weight , maximum	0.5"

4. In Schedule III of the said Order, in Part A, under the heading "Specifications of BIOFERTILISERS", after serial number 8, the following serial number and entries shall respectively be inserted , namely: —

"9. Carrier Based Consortia

(i)	Base	**Carrier based in form of moist powder or granules**
(ii)	Viable count	CFU minimum in a mixture of any 2 or maximum three of following microorganisms: CFU minimum Rhizobium or Azotobacter or Azospirillum $1x10^7$ per g CFU minimum PSB $1x10^7$ per g CFU minimum KSB $1x10^7$ per g
(iii)	Particle size in case of carrier based moist powder	All material shall pass through 0.15 to 0.212 mm IS sieve
(iv)	Total viable count of all the biofertilizer organisms in the product	CFU minimum $5x10^7$ cells per gm of carrier/ powder
(v)	Moisture percent by weight, maximum in case of carrier based	30 - 40%
(vi)	Contamination	No contamination at 10^{-4} dilution for carrier based/granule based inoculants
(vii)	Efficiency character Azotobacter Azospirillum	 The strain should be capable of fixing at least 10 mg of Nitrogen fixation /g of C-source The strain should be capable of fixing at least 10 mg of N-fixation/

		g of malate applied
	PSB	Minimum 5mm zone of solubilization zone on PSB media having at least 3 mm thickness
	KMB	Minimum 5mm zone of solubilization on KSB media having at least 3 mm thickness
	Rhizobium	Nodulation test positive

10. Liquid Consortia

(i)	Individual Viable count in Liquid based	CFU minimum in a mixture of any 2 or more of following microorganisms CFU minimum Rhizobium or Azotobacter or Azospirillum $1x10^8$ per ml CFU Minimum PSB $1x10^8$ per ml CFU minimum KSB $1x10^8$ per ml
(ii)	Total viable count of all the biofertilizer organisms in the product	CFU minimum $5x10^8$ cells per ml of Liquid based
(iii)	Contamination	No contamination at any dilution
(iv)	pH	5.0 – 7.0
(v)	Efficiency character Azotobacter Azospirillum PSB KMB Rhizobium	 The strain should be capable of fixing at least 10 mg N fixation /g of C-source The strain should be capable of fixing at least 10 mg of N-fixation/ g of malate applied Minimum 5 mm zone of solubilization zone on PSB media having at least 3 mm thickness Minimum 5 mm zone of solubilization on KSB media having at least 3 mm thickness Nodulation test positive.”.

5. In Schedule III, of the said Order, in Part D under the heading METHODS OF ANALYSIS OF BIOFERTILISERS, after serial number 1 H, the following serial number and the entries shall respectively be inserted , namely, —

“1.I. Method of analysis of carrier based Consortia of Biofertiliser and liquid consortia of Biofertiliser

(I) Methods of Analysis of Rhizobium Biofertiliser – Same as specified for Rhizobium at Serial number 1.A.

(II) Methods of Analysis of Azotobacter – Same as specified for Azotobacter at serial number 1B

(III) Methods of Analysis Azospirillum – Same as specified for Azospirillum at serial number 1C

(IV) Methods of Analysis of Phosphate Solubilising Bacteria PSB – Same as specified for Phosphate Solubilising Bacteria at serial number 1 D

(V) Methods of Analysis of Potash Mobilising Bacteria (KMB) – Same as specified for Phosphate Solubilising Bacteria at serial number 1 F”.

[F.No.2-4/2013.Fert.Law]

NARENDRA BHOOSHAN, Jt. Secy.

Note : The Principal Order was published in the Gazette of India vide number G.S.R 758 (E) dated 25th Septrmber,1985 and last amended vide number S.O. 3542 (E), dated 29th November, 2013

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054